राज्यपाल सचिवालय,
राजभवन, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(A)(5)आर.बी. / 2025 / 4540 दिनांक : 08/09/, 2025

–: कार्यवाही विवरण :–

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 26.08.2025 को प्रातः 11:00 बजे से राजभवन जयपुर में प्रदेश के समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता तथा नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के संबंध में बैठक आयोजित की गई।

1. बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची **संलग्नक–1** पर संलग्न है।

2. बैठक राष्ट्रगान के साथ प्रारम्भ हुई एवं इसके पश्चात् सचिव, माननीय राज्यपाल द्वारा बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया एवं माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति उपरान्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु पीपीटी प्रस्तुतिकरण दिया गया।

3. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा सभी कुलगुरूगण को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को ओर अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के संबंध में तथा उच्च शिक्षा के और अधिक उन्नयन हेतु अपने सुझाव देने हेतु कहा गया।

4. कुलगुरू, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में सत्र 2023–24 से तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सत्र 2025–26 से नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। विश्वविद्यालय को NAAC में A^+ रेंकिंग प्राप्त हुई है। विश्वविद्यालयों में लगभग 58% पद रिक्त है जिनका रोस्टर तैयार किया जाकर राज्य सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। साथ ही राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों हेतु शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की कॉमन भर्ती राज्य सरकार के स्तर से किये जाने का सुझाव दिया गया।

5. कुलगुरू, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित उच्च निकायों यथा MCI, PCI, INC आदि द्वारा निर्देशित किये जाने पर नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन किया जायेगा। विश्वविद्यालय नैक रैंकिंग के आवेदन प्रस्तुत करने हेतु वर्तमान में पात्र नहीं है क्योंकि नैक हेतु 05 संगठक कॉलेजों का होना आवश्यक है जो विश्वविद्यालय के पास वर्तमान में नहीं है। विश्वविद्यालयों को UGC से कोई ग्रान्ट प्राप्त नहीं होती है। विश्वविद्यालय में केवल 30% शिक्षक ही कार्यरत है, बाकी के पद रिक्त है।

6. कुलगुरू, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। पाठ्यक्रम 25% स्थानीय एवं भारतीय ज्ञान परम्परा के विषय पर तैयार किये जा रहे है।

विश्वविद्यालय के 24 सम्बद्ध महाविद्यालयों में से 03 महाविद्यालयों ने 12 B प्राप्त कर लिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत इस वर्ष लगभग 45000 पौधे रोपित किये गये है। विश्वविद्यालय द्वारा फूड टेस्टिंग लैब की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु भारत सरकार को भिजवाया गया है।

7. कुलगुरू, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू कर दिया गया है। ICAR द्वारा कॉमन सेलेबस तैयार कर दिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा नैक रैंकिंग हेतु बहुत जल्द आवेदन किया जायेगा। प्रदेश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया जैट के माध्यम से एक समान है तो प्रदेश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों हेतु कॉमन प्रश्न पत्र भी तैयार किया जा सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा रोस्टर हेतु समिति का गठन कर दिया गया है। जीव, जन्तु, जानवर, मानव व वृक्षों को एक साथ जोड़ना ही पीपलांत्री मॉडल है, इसलिए प्रत्येक विश्वविद्यालय के कुलगुरूगण को एक बार पीपलांत्री गांव में जाकर वहॉ पर पर्यावरण संरक्षण हेतु किये गये कार्यों को जरूर देखना चाहिए।

8. कुलगुरू, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में पूर्व से ही सेमेस्टर सिस्टम लागू है। विश्वविद्यालय NAAC रैंकिंग एवं NIRF रैंकिंग हेतु कार्य कर रहा है, जल्दी ही नैंक रैंकिंग हेतु आवेदन किया जायेगा। विद्यार्थियों हेतु मातृभाषा में पढने के लिए पाठ्यक्रम तैयार किये जाने के प्रयास किये जा रहे है।

9. कुलगुरू, कृषि विश्वविद्यालय कोटा द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति सत्र 2024–25 से लागू की जा चुकी है। विश्वविद्यालय द्वारा NAAC रैंकिंग हेतु 2 F प्राप्त कर लिया गया है एवं 12 B प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की पदोन्नति कर दी गई है। विश्वविद्यालय के सेवानिवृत कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने का सुझाव दिया गया।

10. कुलगुरू, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जोबनेर जयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू किये जाने हेतु भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (VCI) द्वारा निर्देश प्रदान किये जाने पर लागू की जायेगी। विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हेतु अशैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती किया जाना बहुत आवश्यक है। विश्वविद्यालयों में नियमित CAS होना जरूरी है ताकि समय पर शिक्षकों की पदोन्नति की जा सके, जिससे उच्च स्तर पर पद रिक्त ना रहे। राज्य सरकार से आग्रह किया गया कि विश्वविद्यालयों को भवनों की मरम्मत करवाये जाने हेतु प्रत्येक 05 वर्ष में बजट उपलब्ध करवाया जावें।

11. कुलगुरू, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में सभी कोर्सेज में 2023–24 से नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। विश्वविद्यालय द्वारा दो सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स बनाये गये है जिससे नई शिक्षा नीति लागू किये जाने में काफी सहयोग प्राप्त हुआ। विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2023 में B+ नैक रैंकिंग प्राप्त की गई थी,

अभी विश्वविद्यालय को नैक में A+ रैंकिंग प्राप्त है। विश्वविद्यालय द्वारा 863 राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय पेपर प्रकाशित किये जा चुके है तथा विश्वविद्यालय को 222 पेटेन्ट प्राप्त हुए है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के पास 700 शिक्षक कार्यरत है।

12. कुलगुरू, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में सत्र 2023–24 से नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में सत्र 2026 से नई शिक्षा नीति लागू कर दी जायेगी। भारतीय जन परम्परा के लिए एक विषय विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर विश्वविद्यालयों में व्याख्यान करवाया जाना चाहिए, जिससे छात्रों को भारतीय जन परम्परा के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके। विश्वविद्यालय द्वारा नैक रैंकिंग हेतु आवेदन किया गया है।

13. प्रो. कैलाश सोढानी, पूर्व कुलगुरू, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालयों में पदों की स्वीकृति एवं CAS प्रक्रिया हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति/अनुमोदन की बाध्यता को समाप्त किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय में सेवानिवृत कर्मचारियों को पै–माईनस पेंशन पर लगाने हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति को समाप्त की जानी चाहिए। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की तर्ज पर विश्वविद्यालयों में कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक की नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर पर की जानी चाहिए। कुलगुरू का कार्यकाल 3 वर्ष कम है इस हेतु कार्यकाल को बढ़ाकर 4 वर्ष किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों हेतु नैक रैंकिंग प्राप्त करना कुलगुरूगण की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों में प्रति–कुलगुरू का प्रावधान किया जाना चाहिए।

14. प्रो. बी. एल. चौधरी, पूर्व कुलगुरू, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को तुरन्त भरा जाना आवश्यक है। नई शिक्षा नीति के क्रम में विश्वविद्यालय एवं सरकार के बीच कोई सामन्जस्य नहीं है। विश्वविद्यालयों के रिक्त पदों पर भर्ती राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए। प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय स्तर पर ही तैयार करवाये जाकर परीक्षा आयोजित कराई जानी चाहिए, कॉमन प्रश्न पत्र तैयार कर तद्नुसार कॉमन परीक्षा आयोजित किया जाना बहुत कठिन प्रक्रिया है।

15. प्रो. बी. आर. छीपा, पूर्व कुलगुरू, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा अवगत कराया गया कि नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परम्परा का समावेश होना चाहिए। विश्वविद्यालयों में कुलगुरूगणों का कार्यकाल 3 वर्ष पर्याप्त होता है। रिक्त पदों पर भर्ती विश्वविद्यालय स्तर पर ही की जानी चाहिए, किसी भी चयन बोर्ड या राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं करवाई जानी चाहिए।

16. प्रो. एम.एल. कुमावत, पूर्व कुलगुरू, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में विश्वविद्यालयों में उपस्थिति बहुत ही कम होती है, इसका मुख्य कारण यह है कि शिक्षक कक्षा में ही नहीं जाते है। पुलिस विश्वविद्यालय से कोर्स करने पर ही पुलिस की किसी भी पद की भर्ती हेतु आवेदन करने की पात्रता हेतु नियम बनाया जाना चाहिए जिससे पुलिस विश्वविद्यालय की आय में वृद्धि हो सकेगी।

17. प्रो. एम.एल. छीपा, पूर्व कुलगुरू, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा अवगत कराया गया कि भारतीय ज्ञान परम्परा नई शिक्षा नीति की आत्मा है, प्रत्येक विश्वविद्यालया में हर विषय में भारतीय ज्ञान परम्परा का समावेश होना चाहिए। तकनीकी एवं चिकित्सा विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम हिन्दी में भी तैयार किया जाना चाहिए। लेखन कार्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

18. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा निम्नुसार अवगत कराया गया:–

- देश के कुछ राज्यो में विश्वविद्यालयों में कॉमन भर्ती हेतु बोर्ड बने हुए है जैसे बिहार में (Bihar State University Service Commission) का गठन किया हुआ, राज्य में कॉमन भर्ती बोर्ड का गठन का अच्छा सुझाव है।
- सभी विश्वविद्यालयों की उपलब्धियों एवं नवाचारों को एक दूसरे से सांझा किये जाने हेतु एक पोर्टल तैयार किया जाना चाहिए।
- नई शिक्षा नीति के तहत 04 सितम्बर, 2025 को तकनीकी शिक्षा हेतु एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, साथ ही कॉलेजों के प्राचायों के साथ भी वर्कशॉप आयोजित किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

19. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा बैठक के समापन संबोधन में निम्न निर्देश प्रदान किये गये :–

- प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने परिसर में अधिक से अधिक पेड़ लगावें।
- सेवानिवृत कार्मिकों की पेंशन हेतु राज्य सरकार से वार्ता की गई है इस समस्या का जल्द ही समाधान किये जाने का प्रयास किया जायेगा।
- जिन शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों हेतु बुनियादी सुविधाओं की कमी है उन्हें सुधार करने हेतु निर्देशित किया जावे, नहीं तो ऐसे शिक्षण संस्थानों के विरूद्ध कड़े कदम उठाए जाये।
- पूर्व में किसी भी कुलगुरू द्वारा अवगत नहीं कराया गया कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी है, साथ ही कुलगुरू की यह भी जिम्मेदारी है कि वें विद्यार्थियों का ज्यादा से ज्यादा नामांकन करावें तथा कक्षाऐं नियमित रूप से चलाये जाने कि व्यवस्था सुनिश्चित करावें।
- प्रायः ये देखने में आया है कि प्राइवेट कोचिंग संस्थानों की बजाय कॉलेजों में विद्यार्थियों की उपस्थिति कम रहती है। कुलगुरूगण को यह भी ध्यान देना होगा कि कोचिंग संस्थान और कॉलेजों के बीच ये भिन्नता क्यों है, इसमें सुधार करे।
- विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कुलगुरुगण रुचि लेकर शैक्षिक उत्कृष्टता हेतु कार्य करे। विश्वविद्यालयों द्वारा गुणवत्तापूर्ण छात्र तैयार किया जाना चाहिए ताकि प्रदेश को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया जा सके।

- कुलगुरूगण अपने विश्वविद्यालय के अधीन संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यो के साथ बैठक आयोजित कर उच्च शिक्षा के विकास हेतु चर्चा करे।
- विश्वविद्यालय गोद लिए गांवों को पिपलांत्री पैटर्न पर विकसित किया जाए। वहां अच्छे छायादार पौधे, फल, प्राकृतिक खेती के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया जाए।
- विश्वविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों हेतु स्थानीय जरूरत के हिसाब से रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम तैयार किये जाने चाहिए।
- देश में शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता एवं शारीरिक क्षमता में वृद्धि हो सके।

20. सचिव, माननीय राज्यपाल द्वारा बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का आभार प्रकट किया गया एवं धन्यवाद प्रस्ताव रखा। अंत में राष्ट्रगान के साथ बैठक का समापन किया गया।

(मुकेश कुमार कलाल)
उपसचिव,
राज्यपाल, राजस्थान

क्रमांक : एफ.1(A)(5)आर.बी./2025/ 4941 दिनांक 08/09/ 2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं कार्यवाही विवरण का पालना प्रतिवेदन आवश्यक रूप से भिजवाये जाने हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. प्रो. आनन्द भालेराव, कुलपति, राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़ अजमेर।
3. प्रो. अल्पना कटेजा, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. डॉ. अजीत कुमार कर्नाटक, कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
5. प्रो. मनोज दीक्षित, कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
6. प्रो. त्रिभुवन शर्मा, कुलपति, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर।
7. प्रो अखिल रंजन गर्ग, कुलपति, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर।
8. प्रो. (डॉ.) प्रमोद येवले, कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. प्रो. अभय कुमार व्यास, कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
10. श्री एम.एल. कुमावत, पूर्व कुलपति, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर।
11. प्रो. बी.एल. चौधरी, पूर्व कुलपति, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
12. प्रो. एम.एल. छीपा, पूर्व कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्तवी विश्वविद्यालय, अजमेर।
13. प्रो. पी.के दशोरा, पूर्व कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा ।
14. प्रो. कैलाश सोढ़ानी, पूर्व कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
15. डॉ. बी.आर. छीपा, पूर्व कुलपति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
16. प्रो. आर.एल. रैना, कुलपति जयपुर नैशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर।
17. प्रो. सोमदेव शतांशु, कुलपति अपेक्स यूनिवर्सिटी, जयपुर।

उप सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

क्रमांकः एफ1(A)(5)आरबी/2025/4942 दिनांकः 08/09/ 2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख विशेषाधिकारी, माननीय राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
2. निदेशक (जनजाति कल्याण) एवं विशिष्ठ सचिव माननीय राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
3. परिसहाय, माननीय राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
5. नियंत्रक, हाउसहोल्ड, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, राजभवन, जयपुर।
7. प्रभारी (IT), राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर को राजभवन की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।
8. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
9. निजी सहायक, उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।

उप सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

संलग्नक - 1

Meeting on 26th August, 2025 at 11:00 A.M. at Raj Bhawan, Jaipur

Participaints List

S.N.	Name	Designation
1.	Shri Kuldeep Ranka, IAS.	Additional Chief Secretary, Higher And Technical Education Department, Rajasthan, Jaipur
2.	Dr. Prithvi, IAS	Secretary, Hon'ble Governor
3.	Shri Rajkumar Sagar	Principal OSD, Hon'ble Governor
4.	Dr. Kavita Singh	Director, TW & Special Secretary Hon'ble Governor
5.	Smt. Sandhya Sharma	FA, Hon'ble Governor
6.	Prof. Alpana Kateja	Vice-Chancellor, University of Rajasthan, Jaipur
7.	Dr. Ajeet Kumar Karnatka	Vice-Chancellor, Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur
8.	Prof. Manoj Dixit	Vice-Chancellor, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner
9.	Prof. Tribhuvan Sharma	Vice-Chancellor, Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences, Jobner, Jaipur
10.	Prof. Akhil Ranjan Garg	Bikaner Technical University, Bikner
11.	Prof. Pramod Govindrao Yeole	Vice-Chancellor, Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur
12.	Prof. Abhay Kumar Vyas	Vice-Chancellor, Agriculture University, Kota
13.	Sh. M.L. Kumawat	Ex Vice-Chancellor, Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur.
14.	Prof. B.L. Choudhary	Ex Vice-Chancellor, Mohan Lal Sukhadia University, Udaipur
15.	Prof. M. L. Chhipa	Ex Vice-Chancellor, Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer
16.	Prof. Kailash Sodani	Ex Vice-Chancellor, Vardhman Mahaveer Open University, Kota
17.	Dr. B.R. Chhipa	Ex. Swami Keshvanand Rajasthan Agriculture University, Bikaner
18.	Prof. R. L. Raina	Vice-Chancellor, Jaipur National University, Jaipur
19.	Prof. Somdev Shatanshu	Vice-Chancellor, Apex University, Jaipur
20.	Mr. Mukesh Kumar Kalal	Deputy Secretary, Hob'ble Governor
21.	Shri Sharad Tiwari	CGH, Hon'ble Governor
22.	Dr. Rajesh Vyas	AD, PRO, Hon'ble Governor
23.	Dr. Kuldeep Mishra	OSD, Higher Education, Rajbhawan